राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर राजस्थान

कमांकःडीसी/डी–4/चूरू लूज/2018/ दिनांकः–

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत स्टाम्प डयूटी की रिहायत तथा धारा–9 क के तहत ब्याज व शास्ति में छूट, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 में किये गये संशोधनों एवं पंजीयन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क की दरों में किये गये परिवर्तनों की पालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर का पत्र कमांक एफ 7(39)जन/बजट 17–18/पार्ट/2017/2779–2892 दिनांक 08.03.2017 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि आप अपने परिक्षेत्र में औषधियों के कय–विकय एवं प्रदर्शन तथा निर्माण इकाईयों/विनिर्माण इकाईयां/ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज सेन्टर एवं अन्य औषधियों से सम्बन्धित इकाईयों के अनुज्ञापत्रों के आवेदन पत्र के साथ किरायानामा/रेन्ट डीड में स्टाम्प डयूटी/पंजीयन शुल्क संदर्भित पत्र की पालना में दस्तावेज तैयार कर पत्रावली में शामिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

Sd

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

कमांकःडीसी/डी–4/चूरू लूज/2018/136 दिनांकः–01/06/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ कार्यालय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र कमांक म./ग्राविएवंपंराध/समा/निर्वा/2017/7166 दिनांक 12.12.2017 के संदर्भ में।
2. औषधि नियंत्रक प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सर्वर रूम मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र मय संलग्नकों को औषधि नियंत्रण संगठन के विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
   संलग्न– उपरोक्तानुसार
4. रक्षित पत्रावली।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग जयपुर राजस्थान

क्रमांकःडीसी/डी–4/चूरू लूज/2018/136 दिनांकः– 01/06/2018

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) के अन्तर्गत स्टाम्प डयूटी की रिहायत तथा धारा–9 क के तहत ब्याज व शास्ति में छूट, राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 में किये गये संशोधनों एवं पंजीयन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क की दरों में किये गये परिवर्तनों की पालना सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर का पत्र क्रमांक एफ 7(39)जन/बजट 17–18/पार्ट/2017/2779–2892 दिनांक 08.03.2017 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त संदर्भित पत्र की छायाप्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर लेख है कि आप अपने परिक्षेत्र में औषधियों के क्रय–विक्रय एवं प्रदर्शन तथा निर्माण इकाईयों/विनिर्माण इकाईयां/ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज सेन्टर एवं अन्य औषधियों से सम्बन्धित इकाईयों के अनुज्ञापत्रों के आवेदन पत्र के साथ किरायानामा/रेन्ट डीड में स्टाम्प डयूटी/पंजीयन शुल्क संदर्भित पत्र की पालना में दस्तावेज तैयार कर पत्रावली में शामिल करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःडीसी/डी–4/चूरू लूज/2018/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ कार्यालय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, संसदीय मामलात एवं निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक म./ग्राविएवंपंराध/समा/निर्वा/2017/7166 दिनांक 12.12.2017 के संदर्भ में।
2. औषधि नियंत्रक प्रथम, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी कम्प्यूटर सर्वर रूम मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र मय संलग्नकों को औषधि नियंत्रण संगठन के विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
   संलग्न– उपरोक्तानुसार
4. रक्षित पत्रावली।

(अजय फाटक)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान,
"पंजीयन–भवन" अजमेर

क्रमांक एफ 7(39)जन / बजट 17–18 / पार्ट / 2017 /2233-2278 दिनांक 08 मार्च, 2017

1 **अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन),**
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन,
जयपुर

2 **समस्त उप महानिरीक्षक,**
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान

3 **समस्त उप पंजीयक (पूर्णकालीन एवं पदेन),**
राजस्थान

विषय – राज्य के बजट वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 9(1)के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी की रियायत तथा धारा–9क के तहत ब्याज व शास्ति में छूट, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में किये गये संशोधनों एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत पंजीयन शुल्क की दरों में किये गये परिवर्तनों की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधन एवं उक्त अधिनियम की अनुसूची में विभिन्न दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों में किये गये संशोधन, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (1) के तहत स्टाम्प ड्यूटी की दरों में रियायत के संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं, धारा 9क के अन्तर्गत ब्याज एवं शास्ति में दी गई छूट, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में किये गये संशोधन एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में पंजीयन शुल्क के प्रावधानों में किये गये संशोधनों की पालना सुनिश्चित करने के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं –

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधन

1 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–5 में संशोधन कर बंधक–पत्र के साथ–साथ Agreement or any other doucment relating to the deposit of title deed के दस्तावेज को भी सम्मिलित किया गया है। बैंक द्वारा ऋण के संबंध में एकल सव्यवहार हेतु निष्पादित विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में से Agreement or any other document relating to the deposit of title deed के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की अदायगी किये जाने पर शेष अन्य सभी दस्तावेजों पर रूपये 200/– की स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।

2 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–49 में संशोधन कर दस्तावेज पंजीयन के समय किसी व्यक्ति द्वारा अज्ञानतावश या विभागीय कार्मिकों द्वारा गणना के कारण निर्धारित दर से अधिक जमा करायी गयी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड करने के लिये प्रावधान किया गया है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में विभिन्न दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी की दरों में संशोधन – राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में किये गये संशोधन, निम्नलिखित बिन्दु संख्या 1 से 3 में दिये गये है. ये सभी संशोधन दिनांक 08.03.2017 से ही प्रभावी हो गये है :–

1 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड (एफ) में स्टाम्प ड्यूटी की दर को तर्कसंगत एवं व्यावहारिक बनाने के लिए आर्टिकल 5 के खण्ड (एफ) में संशोधन कर अनुबंध राशि पर 25000/– रूपये अधिकतम तथा 500 रूपये न्यूनतम के अध्यधीन 0.25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की गयी है।

2 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33 को पूर्णत संशोधित करते हुए लीजहोल्ड (किरायानामा) के दस्तावेज पर अलग–अलग अवधि की श्रेणियां बनाकर अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :–

1	एक वर्ष से कम अवधि	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.02 प्रतिशत
2	एक वर्ष या एक वर्ष से अधिक किन्तु 5 वर्ष तक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत
3	5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.5 प्रतिशत
4	10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत
5	15 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष तक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत
6	20 वर्ष से अधिक किन्तु 30 वर्ष तक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 4 प्रतिशत
7	30 वर्ष से अधिक	सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत

3 राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 35-ए के खण्ड (ए) के उपखण्ड (i) के अधीन Revolvers or pistols के अनुज्ञा–पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को संशोधित करते हुए रूपये 5000/– एवं खण्ड (सी) के उपखण्ड (i) के अधीन नवीकरण पर रूपये 2000/– स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की गयी है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की की धारा 9 की उपधारा (1) के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी में दी गई रियायतें – (सभी अधिसूचनाएँ दिनांक 08.03.2017 को तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है)

1 **अधिसूचना क्रमांक प4(3)वित्त/कर/2017–101 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा पैतृक सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति के विभाजन के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की दर** में रियायत दी जाकर 5 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

2 अधिसूचना क्रमांक प4(3)वित्त/कर/2017–102 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा –

i राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड (सी) के अधीन अचल सम्पत्ति के विक्रय इकरारनामों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी में रियायत देकर 3 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

ii उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 44 के खण्ड (ee) के उप–खण्ड (ii) के अधीन बिना प्रतिफल के अचल सम्पत्ति के विक्रय के अधिकार प्रदान

करने के लिए निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी मे रियायत देकर 2 प्रतिशत के स्थान पर 0.5 प्रतिशत प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

3. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–103 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा –

i उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड (डी) के अधीन ऋण इकरारनामा के दस्तावेज पर अधिकतम 5 लाख रूपये स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

ii उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 6 के अधीन Agreement or any other doucment relating to the deposit of title deed पर प्रभार्य अधिकतम 5 लाख रूपये स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

उपरोक्त के संबध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमाक एफ 4(6)वित्त/कर/2016–225 दिनांक 08.03.2016 को अपास्त किया गया है।

4. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–104 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमाक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–214 दिनाक 08.03.2016 को अपास्त करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल 30 के खण्ड (बी) के उप–खण्ड (ii) के अधीन अतिरिक्त भार के दस्तावेज (Further Charge) के दस्तावेज पर एवं आर्टिकल 37 के खण्ड (बी) के अधीन बिना कब्जे वाले बन्धकपत्र पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी अधिकतम 5 लाख रूपये के अध्ययधीन 0.15 प्रतिशत प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

5 अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–105 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित ऋण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी मे रियायत के संबध में जारी अधिसूचना क्रमाक एफ 4(6)वित्त/कर/2016–227 दिनांक 08.03.2016 के प्रभावी रहने की अवधि को दिनाक 31.03.2017 से बढाकर दिनाक 31.03.2018 किया गया है।

6 अधिसूचना क्रमाक प.4(3)वित्त/कर/2017–106 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा राजस्थान स्टार्ट–अप पोलिसी, 2015 के अधीन स्टार्ट–अप की स्थापना करने के लिए दिये जाने वाले ऋण के संबध में निष्पादित ऋण दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी मे रियायत के संबध मे जारी अधिसूचना क्रमाक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–228 दिनांक 08.03.2016 को दिनाक 31.03.2018 के प्रभावी रहने की अवधि को दिनांक 31.03.2017 से बढाकर दिनांक 31.03.2018 किया गया है।

7 अधिसूचना क्रमाक प.4(3)वित्त/कर/2017–107 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा माइक्रो यूनिट्स डवलपमेन्ट एण्ड रि–फाईनेंस एजेन्सी (मुद्रा) की स्कीम के अधीन बैंको एव संस्थाओं द्वारा निष्पादित 10 लाख रूपये तक के रोकड उधार ओवरड्राफट के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी मे रियायत के संबध मे जारी अधिसूचना क्रमाक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–229 दिनाक 08.03.2016 के प्रभावी रहने की अवधि को दिनाक 31.03.2017 से बढाकर दिनाक 31.03.2018 किया गया है।

8 अधिसूचना क्रमाक प.4(3)वित्त/कर/2017–108 दिनाक 08.03.2017 के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निष्पादित रिवर्स मोरगेज के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी मे रियायत के संबध मे जारी अधिसूचना क्रमाक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–230 दिनाक 08.03.2016 के प्रभावी रहने की अवधि को दिनाक 31.03.2017 से बढाकर दिनाक 31.03.2018 किया गया है।

9 अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–109 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–226 दिनांक 08.03.2016 को अपास्त करते हुए, भागीदारी फर्म, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) में संपरिवर्तन से संबंधित दिनांक 31.03.2009 को या उसके बाद निष्पादित किये गये दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

10. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–110 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण (asset reconstruction or securitisation) तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002) की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों (Financial Assets) में अधिकारों या हितों का, इस अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (खख) में परिभाषित किसी आस्ति पुनर्गठन कम्पनी (Assets Reconstruction Company) के पक्ष में हस्तांतरण या समनुदेशन (assignment) के संबंध में निष्पादित करार या अन्य दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत दी गई है।

11. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–111 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा–

i. दिनांक 31.05.2013 को या इससे पूर्व निष्पादित अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेजों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 30.12.2017 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर ऐसे पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी ब्याज एवं शास्ति यदि कोई हो, प्रतिफल के रूप में अदा किये गये प्रीमियम, विकास प्रभारों, संपरिवर्तन प्रभारों और अन्य प्रभारों की रकम तथा दो वर्ष के औसत किराये की राशि पर प्रभारित करने का प्रावधान किया गया है।

ii. यदि दिनांक 31.05.2013 को या इससे पूर्व निष्पादित अपंजीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेज के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 31.12.2017 के पश्चात् पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाये तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र के लिए निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर और यदि आरक्षित दर निर्धारित ना हो तो निकटवर्ती क्षेत्र की आरक्षित दर के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की जायेगी।

12. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–112 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा के द्वारा 10 वर्ष के किरायेनामों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गई रियायत के संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित्त/कर/2014–56 दिनांक 14.07.2014 को अपास्त किया गया है।

13. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–113 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(6)वित्त/कर/2016–220 दिनांक 08.03.2016 के प्रावधान को अपास्त करते हुए, विकास प्राधिकरणों, राजस्थान आवासन बोर्ड, नगर सुधार न्यासों, नगर पालिकाओं, रीको या अन्य निजी विकासकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के व्यक्ति को आवासीय इकाई के पट्टे या विक्रय पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी की रियायत देकर प्रतिफल राशि का 2 प्रतिशत

एवं निम्न आय समूह (LIG) के व्यक्ति को आवंटित अनुसूचित इकाई के पट्टे या विक्रय पत्र पर प्रतिफल राशि का 3.5 प्रतिशत प्रभारित की गई है।

14 अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–114 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा राजस्थान रुग्ण सूक्ष्म और लघु उपक्रमों (पुनरूज्जीवन एवं पुनर्वास) स्कीम, 2015 में परिभाषित रुग्ण उपक्रम की अवल सम्पत्ति, ऐसे उपक्रम के पुनरूज्जीवन (Revival) के प्रयोजन के लिए, हस्तान्तरण के दस्तावेज पर, ऐसी स्कीम के अधीन समुचित प्राधिकारी (appropriate authority) द्वारा जारी किया गया रुग्णता प्रमाण–पत्र (Certificate of sickness) उप पंजीयक को प्रस्तुत करने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है। इस अधिसूचना के द्वारा दी गई स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रावधान को दिनांक 10.11.2015 से प्रभावी किया गया है, किन्तु ऐसे मामलों में पूर्व में अदा की गयी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

<u>राजस्थान स्टाम्प अधिनियम,1998 की की धारा 9ए के अन्तर्गत ब्याज एवं शास्ति में दी गई रियायत–(सभी अधिसूचनाऐं दिनांक 08.03.2017 को तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है)</u>

अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–115 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा मुदाक प्रकरणों में बकाया स्टाम्प ड्यूटी पर देय ब्याज एवं शास्ति की विशेष राहत योजना निम्नानुसार जारी की गयी है :–

A. **दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की अवधि में बकाया स्टाम्प ड्यूटी की राशि जमा कराये जाने पर, देय ब्याज एवं शास्ति की 100 प्रतिशत रियायत–**

i. अधिसूचना की तारीख तक दर्ज एवं लम्बित मुदाक प्रकरणों में

ii. दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की अवधि में दर्ज मुदाक प्रकरणों में

iii. अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (मुद्राक) द्वारा निर्णित मुदाक प्रकरणों में

iv. अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरण या पक्षकारों द्वारा वापस लेने का सबूत प्रस्तुत करने पर।

B. कलक्टर (मुद्राक) द्वारा निर्णित मुदाक प्रकरणों में पक्षकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पूर्व ही स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जा चुकी हो, ऐसे मामलों में देय ब्याज एवं शास्ति की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की अवधि में जमा करायी जाती है तो शेष 80 प्रतिशत राशि की छूट देय होगी

C. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लम्बित मामलों में पक्षकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पूर्व ही स्टाम्प ड्यूटी जमा करायी जा चुकी हो, ऐसे मामलों में प्रकरण पक्षकारों द्वारा वापस लेने का सबूत प्रस्तुत करने पर, देय ब्याज एवं शास्ति की 20 प्रतिशत राशि दिनांक 08.03.2017 से 30.04.2017 की अवधि में जमा करायी जाती है तो शेष 80 प्रतिशत राशि की छूट देय होगी।

D. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत जमा करायी गयी राशि स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के रूप में समायोजित की जायेगी।

E. उपरोक्त मामलो मे पूर्व मे अदा किया गया स्टाम्प शुल्क या अन्य राशि का रिफण्ड देय नही होगा।

2. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–116 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा स्थानीय निकायो से पट्टा लेने से पूर्व निर्धारित अपर्जीकृत या अपूर्ण मुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजो एवं आवासीय सहकारी समितियो द्वारा आवंटित या विक्रित भूमि के सबध मे अपर्जीकृत या अपूर्ण मुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजो पर ब्याज एव शास्ति की पूर्ण रियायत प्रदान की गई है।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन के द्वारा किये गये प्रावधान–

1. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–117 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 मे निम्नानुसार सशोधन किये गये है –

   i. नियम 24 के अन्तर्गत स्टाम्प वेण्डर के अनुज्ञा–पत्र हेतु एव नवीकरण हेतु ऑनलाईन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप–"कक" मे आवेदन पत्र का प्रावधान।

   ii. स्टाम्प रिफण्ड के लिए आवेदन इलेक्ट्रोनिक रूप से करने का प्रावधान करने के लिए नियम 48 मे सशोधन।

   iii. स्टाम्प रिफण्ड के लिए प्राप्त आवेदन पत्रो का निस्तारण कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा तीन माह की अवधि मे करने का प्रावधान करने के लिए नियम 53 मे सशोधन।

   iv. अचल सम्पत्ति का मौका निरीक्षण इलेक्ट्रोनिक युक्ति के माध्यम से करने हेतु नियम 57 मे सशोधन।

   v. स्टाम्प वेण्डरों के अनुज्ञा–पत्रों के लिए निर्धारित प्ररूप–क मे सशोधन कर आवेदक की पासपोर्ट आकार की फोटो चस्पा करने का प्रावधान एव 5 रूपये के कोर्टफीस लेबल के प्रावधान को हटाना।

उपरोक्त सशोधन दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी होगे।

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के तहत व्यवसायिक भूमि की दरों में रियायत–

1. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–118 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डो की दरों में कमी किये जाने के सबध में पूर्व मे जारी अधिसूचना क्रमांक प.4(4)वित्त/कर/2015–226 दिनांक 09.03.2015 के बिन्दु सख्या 8 के प्रावधान को सशोधित कर आवासीय भूखण्डो पर दी गई रियायत को समाप्त करते हुए व्यवसायिक भूमि की दरो मे निम्नानुसार कमी की गई है –

100 वर्गमीटर या इससे अधिक क्षेत्रफल के व्यवसायिक भूखण्डों की दरें

क्र. सं	क्षेत्रफल	जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों पर आधारित मूल्यांकन निम्नानुसार किया जायेगा
1.	100 से 500 वर्गमीटर तक	5 प्रतिशत
2	500 वर्गमीटर से अधिक	100 से 500 वर्गमीटर तक, 5 प्रतिशत एवं शेष पर 10 प्रतिशत

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 08.03.2017 के प्रावधान दिनांक 31.03.2018 तक प्रभावी रहेंगे।

<u>पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 78 के तहत पंजीयन शुल्क का निर्धारण करने एवं रियायत देने के संबंध में–</u>

1. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–119 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(47)वित्त/कर/09–04 दिनांक 09.04.2010 के अनुच्छेद संख्या–I के क्रम संख्या 1 एवं 6 में विद्यमान प्रावधान को संशोधन कर पंजीयन शुल्क 1 प्रतिशत तथा अधिकतम 4 लाख रूपये निर्धारित किया गया।

2. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–120 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा पैतृक सम्पति से भिन्न सम्पति के विभाजन के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क में रियायत देकर अधिकतम 10000/– रूपये के अध्ययधीन बाजार मूल्य पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की गई है।

3. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–121 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.4(15)वित्त/कर/2014–66 दिनांक 14.07.2014 को अपास्त करते हुए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 5 के खण्ड (c) के अधीन अचल सम्पति के विक्रय इकरारनामो एवं आर्टिकल 44 के खण्ड (cc) के उप–खण्ड (ii) के अधीन बिना प्रतिफल के अचल सम्पति के विक्रय के अधिकार प्रदान करने के लिए निष्पादित पॉवर ऑफ अटॉर्नी पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में रियायत दी जाकर 0.25 प्रतिशत अधिकतम 10000/– रूपये प्रभारित की गई है।

4. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–122 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा परिवार के सदस्यों के मध्य अचल सम्पति के संबंध में निष्पादित पारिवारिक समझौता (Faimly Settlement) के दस्तावेज पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में रियायत दी जाकर 0.25 प्रतिशत अधिकतम 10000/– रूपये प्रभारित की गई है।

5. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–123 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा आर्टिकल 35बी के खण्ड (2) के उप–खण्ड (क) के अधीन भागीदारी फर्म, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी या अनुसूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी (LLP) में संपरिवर्तन से संबंधित, निष्पादित किये गये दस्तावेजों पर प्रभार्य पंजीयन शुल्क में रियायत देकर रूपये 10000/– से अधिक की पंजीयन शुल्क की छूट दी गई है।

6. अधिसूचना क्रमांक प.4(3)वित्त/कर/2017–124 दिनांक 08.03.2017 के द्वारा 20 वर्ष तक की अवधि की लीजडीड (किरायानामा) जिस पर अचल सम्पति के बाजार

मूल्य के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी प्रभारित की गई है, ऐसी लीजडीड (किरायानामा) पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर 20 प्रतिशत पंजीयन शुल्क प्रभारित करने की रियायत दी गई है।

अतः समस्त उप महानिरीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान वित्त अधिनियम 2017 के द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में किये गये संशोधन, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 एवं पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं को राज्य सरकार के वित्त (कर) विभाग की वेबसाईट http://www.finance.rajasthan.gov.in एवं इस विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का संशय होने पर मूल प्रावधान के आधार पर ही उचित कार्यवाही की जावें। उपरोक्त प्रावधानों की जानकारी अपने स्तर से भी अपके वृत्त के समस्त उप पंजीयकों को तत्काल भिजवाकर पालना सुनिश्चित करें। इस पत्र के साथ उपरोक्त प्रावधानों की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की छायाप्रतियां सदर्भ हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,
[signature] 08.03.2017
(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : एफ.7(39)जन/बजट 17–18/पार्ट/2017/ 2779-2892 दिनांक : 08 मार्च, 2017

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को, कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय अजमेर।
8. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त संशोधन/अधिसूचनाओं के कारण विभाग के सॉफ्टवेयर "ई-पंजीयन एवं राजकोष" में आवश्यक संशोधन तत्काल करावें तथा उक्त अधिसूचनाओं एवं प्रावधानों तथा निर्देशों को विभाग की वेबसाईट http://www.igrs.rajasthan.gov.in पर तत्काल अपलोड करावें।
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त–जयपुर/जोधपुर।

11- समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
12- उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13- समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर
14- निजी सचिव, महानिरीक्षक/निजी सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन) एवं (प्रवर्तन) अजमेर
15- समस्त शाखाऐं, मुख्यालय, अजमेर।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

08-03-2017
(नन्नूमल पहाड़िया)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर